[2020] 6 एस. सी. आर. 332

डॉ. थिंगुजाम एचुबा सिंह और अन्य।

बनाम
डॉ. एच. नबचंद्र सिंह और अन्य। ईटीसी।

(सिविल अपील सं. 2250–2252/2020) अप्रैल 17,2020

[आर. भानुमति और आर.सुभाष रेड्डी, जेजे.]

सेवा कानूनः भर्ती–क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस), इम्फाल पंजीकृत समिति है और उत्तर पूर्व भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान चला रहा है–विज्ञापन दिनांक 16.08.2016 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरआईएमएस के निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था–रिट याचिकाएं इस आधार पर विज्ञापन को रद्द करने के लिए दायर की गई हैं कि यह ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान नहीं करता है; पात्रता के लिए 14 साल का अनुभव, विज्ञापन में जैसा कि अधिसूचित है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत था; यह कि निदेशक के पद के लिए रिक्ति 14.09.2015 को हो गई थी, ऐसी दशा में, विनियम जो रिक्ति की तारीख पर मौजूद थे, लागू होंगे–सभी तीन रिट याचिकाओं में, निदेशक के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन दिनांक 16.08.2016 चुनौती के अधीन था, और निदेशक के पद पर भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी–उच्च न्यायालय हालांकि भर्ती नियमों की वैधता में चला गया और यह निष्कर्ष दिया कि नियमों को सोसायटी के नियमों,विनियमों और उपनियमों के अनुसार संशोधित नहीं किया गया था–इसके अलावा, इस आधार पर अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था कि नियमों में संशोधन के बाद, ऐसे नियमों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए अधिसूचित नहीं किया गया था, जिससे कि, वे सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं थे–उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एमसीआई विनियमों द्वारा निर्धारित अनुभव मानदंड विज्ञापन में निर्धारित नहीं थे और इस तरह के नियमों का आरआईएमएस में निदेशक के पद को भरने के लिए, एक बाध्यकारी प्रभाव होगा –अभिनिर्धारणः उच्च न्यायालय ने किसी भी चुनौती के अभाव में,नियमों की वैधता में जाने में त्रुटि की, – सोसायटी के उप–कानूनों में इस संबंध में किसी भी प्रावधान के अभाव में या निदेशक के पद पर भर्ती के लिए बनाए गए नियम और विनियम–जैसा कि एमसीआई द्वारा जारी किए गए "मेडिकल संस्थान में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998" में अधिसूचित है, बड़े पैमाने पर जनता को सूचित नहीं करना अधिसूचना को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है।

डॉ. थिंगुजाम एचुबा सिंह बनाम

डॉ. एच. नबचंद्र सिंह

चिकित्सा संस्थानों के निदेशक के पद के लिए लागू शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबद्ध शिक्षण अस्पताल के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए लागू से भिन्न हैं–एक चिकित्सा संस्थान में निदेशक के पद के लिए, एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के रूप में दस साल का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच साल एक विभाग में प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए, निर्धारित है–हालांकि, संबद्ध शिक्षण अस्पताल के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए आवश्यक अनुभव केवल दस वर्ष है–उत्तरदाताओं का यह विशिष्ट मामला है कि आरआईएमएस एक संबद्ध शिक्षण अस्पताल है–उत्तरदाताओं के ऐसे आधार को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन में अधिसूचित पात्रता के लिए अनुभव एमसीआई विनियमों के विपरीत है–जहां तक ऊपरी आयु सीमा में छूट का संबंध है, उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी और सोसायटी की कार्यकारी परिषद को इस तरह के शिथिलता उपनियम प्रदान करने के लिए विचार करने के लिए निर्देश दिया –यह समझ से परे है कि उच्च न्यायालय द्वारा छूट प्रदान करने के लिए ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है जिसे विज्ञापन में अधिसूचित नहीं किया गया है–जबकि यह नियोक्ता के लिए खुला है कि वह छूट के लिए ऐसे मानदंडों को अधिसूचित करें जब पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, उसी समय कोई भी अधिकार के रूप में इस तरह की छूट का दावा नहीं कर सकता है–पात्रता मानदंड नियोक्ता के डोमेन के भीतर है और कोई अभ्यर्थी छूट खंड प्रदान करने को, अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता है–उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

ने अभिनिर्धारण कियाः 1. किसी भी रिट याचिका में, निदेशक के पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों को चुनौती नहीं दी गई थी, उच्च न्यायालय नियमों को जैसा कि संशोधित किया गया है,की वैधता में चला गया, और यह अभिनिर्धारित किया कि समिति के नियमों, विनियमों और उपनियमों का पालन करके नियमों में संशोधन नहीं किए गए थे। रिट याचिकाओं में प्रतिवादी अधिकारियों की विशिष्ट दलील,कि नियमों की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा केवल यह कहते हुए अलग कर दिया गया है कि इस तरह की आपत्ति तकनीकी प्रकृति की है। इस तरह की आपत्ति को उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि इस तरह की आपत्ति तकनीकी प्रकृति की है। किसी भी दशा में, यह प्रतिवादी अधिकारियों का यह मामला था कि नियमों का पालन करके नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया गया था और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 6 एससीसीआर।
इस तरह के संशोधन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, संशोधित नियमों को अधिसूचित नहीं करने के तथ्य को भी उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने के लिए आधार बनाया गया है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने माना है कि संशोधित नियमों को अधिसूचित नहीं करना भर्ती नियमों की संशोधन प्रक्रिया के मूल पर प्रहार करेगा, जिससे कि, जब तक कि ऐसे नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है। यह आक्षेपित आदेश से स्वतः विदित होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में यह विशिष्ट दलील दी गई कि उक्त नियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नहीं बनाया गया है और यह भी कि इसे अधिसूचित करने के लिए आरआईएमएस के नियमों, विनियमों और उपनियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यह सच है कि एक सार्वजनिक संस्थान में, नियमों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी समय सोसायटी के उपनियम या निदेशक के पद पर भर्ती के लिए बनाए गए नियम और विनियम में इस आशय के किसी प्रावधान के अभाव में, बड़े पैमाने पर जनता को सूचित नहीं करना अधिसूचना को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है। [पैरा 13] [339–सी–एच; 340–ए]

2. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी "मेडिकल संस्थान में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998" (11 मार्च 2017 तक संशोधित) के रूप में विनियमों की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है। जैसा कि उक्त विनियमों में अधिसूचित किया गया है, चिकित्सा संस्थानों के निदेशक के पद के लिए लागू शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबद्ध शिक्षण अस्पताल के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए लागू होने वाले से भिन्न हैं। एक चिकित्सा संस्थान में निदेशक के पद के लिए, शैक्षणिक योग्यता के अलावा, एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के रूप में दस साल का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच साल एक विभाग में प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए, निर्धारित है। हालांकि, संबद्ध शिक्षण अस्पताल के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए आवश्यक अनुभव केवल दस वर्ष है। यह उत्तरदाताओं का विशिष्ट मामला है कि आरआईएमएस एक संबद्ध शिक्षण अस्पताल है। उत्तरदाताओं के ऐसे रुख के दृष्टिगत यह नहीं कहा जा सकता है कि दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन में अधिसूचित पात्रता का अनुभव मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विनियमों के विपरीत है। जहां तक ऊपरी आयु सीमा में छूट, याचिकाकर्ताओं द्वारा एक रिट याचिका में मांगी गई है, उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकरण और सोसायटी की कार्यकारी परिषद को इस तरह के शिथिलता नियम को प्रदान करने पर विचार करने के लिए निर्देश दिया है।

डॉ. थिंगुजाम एचुबा सिंह बनाम

डॉ. एच. नबचंद्र सिंह

यह समझ से परे है कि उच्च न्यायालय द्वारा छूट प्रदान करने के लिए ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है जिसे विज्ञापन में अधिसूचित नहीं किया गया है। यद्यपि नियोक्ता के लिए छूट के लिए ऐसे मानदंडों को अधिसूचित करना खुला है जब पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, उसी समय कोई भी अधिकार के रूप में इस तरह की छूट का दावा नहीं कर सकता है। पात्रता मानदंड नियोक्ता के डोमेन के भीतर होगा और कोई भी उम्मीदवार शिथिलता नियम प्रदान करने के लिए अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता है। [पैरा 14] [340–डी–एच; 341–ए]

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील सं. 2020 का 2250 –

2252।

मणिपुर के उच्च न्यायालय इम्फाल के डब्ल्यू. पी.(ग) सं. 2016 के 676, 2016 के 722 और 2016 के 766 के निर्णय और आदेश दिनांक 27.03.2017 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 2020 का 2253–2255।

संजय हेगड़े, सीनियर अधिवक्ता।, प्रीतम सिंह, एस. गौथमन, जी. बालाजी, राजीव शर्मा, सुश्री राधालक्ष्मी आर., अधिवक्तागण अपीलकर्ताओं के लिए।

डॉ. राजीव धवन, अजीत कुमार सिन्हा, सीनियर अधिवक्तागण।, सुश्री पूनम कुमारी, अब्दुलरहिमान तंबोली, सिद्धि पडदिया, अब्दुल अजीम कालेबुद्दे, ए. रोहन सिंह, विवेक कुमार मिहिर, विजय प्रकाश, सुश्री नूपुर शर्मा, अमरीश कुमार शर्मा, जी. एस. मक्कर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे. द्वारा

सिविल अपील सं। 2020 का 2250–2252

[एसएलपी से उत्पन्न (सी) 2017 का नं. 15093–15095]

1. अनुमति दी गई।

2. ये सिविल अपीलें, डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 का नंबर. 676; डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 का नंबर 722; और डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 का नंबर 766 में इम्फाल में मणिपुर के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 27.03.2017, से व्यथित होकर दायर की गई हैं। उक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने, क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल में निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन दिनांकित 16.08.2016 को रद्द कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 6 एससीसीआर।

3. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (इसके पश्चात, 'रिम्स' के रूप में संदर्भित), इम्फाल को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में वर्ष 1975 में पंजीकृत किया गया है। उक्त सोसायटी को शुरू में 'नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल मेडिकल कॉलेज' के रूप में पंजीकृत किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर 'रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (आरआईएमएस) कर इसे फिर से पंजीकृत किया गया। उक्त सोसायटी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में से एक है। रिम्स के कार्य मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए), नियम, विनियम और रिम्स के उप-कानूनों द्वारा शासित और विनियमित होते हैं।

4. आरआईएमएस के निदेशक का पद अंतिम बार डॉ. एस. शेखरजीत सिंह के पास था और वह 14.09.2015 को रिक्त हो गया। तब से निदेशक का पद संस्थान के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसरों को समय-समय पर प्रभारी के आधार पर दिया जाता था। 24.06.2015 को पहली बार, सीधी भर्ती द्वारा निदेशक, आरआईएमएस, इम्फाल के पद को भरने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन में, ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष अधिसूचित की गई थी, जो सरकारी सेवक/आरआईएमएस अधिकारी और विशेष रूप से योग्य उम्मीदवार के लिए छूट योग्य थी और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष अधिसूचित की गई थी। डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 के नंबर. 676 में रिट याचिकाकर्ता और कुछ अन्य ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 01.07.2015 को एक प्रत्यावेदन सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए दिया। डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 के नंबर. 676 के सभी याचिकाकर्ताओं ने या तो 62 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या 62 वर्ष पूरे होने के करीब हैं। उन्होंने फिर से 08.07.2015 और 16.07.2015 को प्रत्यावेदन दिया। कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने के बाद उन्होंने डब्ल्यू. पी. (सी) 2015 का नंबर 617 के रूप में रिट याचिका दायर करके, पात्रता के लिए 60 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तय करके, आरआईएमएस के नियमों और विनियमों के खंड 12 के अनुसार, निदेशक के पद को भरने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए, विज्ञापन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त रिट याचिका में, कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, लेकिन इस बीच, कार्यालय ज्ञापन सं. बी/ 1734/96-आरआईएमएस (पीटी-डी दिनांक 20.04.2016 को आरआईएमएस के निदेशक द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के साथ 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति की आयु को अधिसूचित करते हुए जारी किया गया। उक्त रिट याचिका वापस ले ली गई। ऐसा प्रतीत होता है कि, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के दृष्टिगत, दिनांक 16.08.2016 को एक और विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों/आरआईएमएस अधिकारी के लिए भी बिना किसी छूट के, पात्रता मानदंड में 62 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की गई थी।

डॉ. थिंगुजाम एचुबा सिंह बनाम

डॉ. एच. नबचंद्र सिंह [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

5. जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशक के पद के लिए,आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 16.08.2016 को नया विज्ञापन जारी किया गया था, रिट याचिका। (सी) 2016 का नंबर. 676 मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष, मुख्य रूप से इस आधार पर कि उक्त अधिसूचना में ऊपरी आयु सीमा के लिए छूट प्रदान नहीं की गई थी, दायर की गई थी। इस प्रकार, उक्त रिट याचिका में दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन को रद्द करने के लिए अनुतोष मांगा गया था, जहां तक यह,उत्तरदाताओं को एक परिणामी निर्देश के साथ याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के साथ,ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान न करने की अवैधता से संबंधित है। उसी विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए, रिम्स में काम करने वाले एक अन्य प्रोफेसर ने डब्ल्यू पी (सी) 2016 का नंबर 722 के रूप में एक और रिट याचिका, मुख्य रूप से इस आधार पर कि पात्रता के लिए अनुभव, जैसा कि दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत था,दायर की गई। इस रिट याचिका में यह निवेदन किया गया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, निदेशक का पद संभालने के लिए, प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के रूप में न्यूनतम दस साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम से कम पांच साल प्रोफेसर के रूप में एक विभाग में होना चाहिए। यह उनकी व्यथा थी कि उपरोक्त मानदंडों को अधिसूचित करने के बजाय, उत्तरदाताओं ने केवल चौदह साल के अनुभव को अधिसूचित किया है, जिसमें प्रोफेसर के रूप में शिक्षण अनुभव के पांच साल की शर्त नहीं है। उक्त रिट याचिका में, दिनांक 16.08.2016 की अधिसूचना को रद्द करने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों द्वारा निर्धारित अनुभव को निर्धारित करके उसे नए सिरे से पुनः अधिसूचित करने के अनुतोष की मांग की गई है।

6. एक अन्य उम्मीदवार जो प्रोफेसर के रूप में सेवारत था, उसने भी डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 के नंबर 766 के रूप में एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें उसी विज्ञापन को चुनौती देते हुए मुख्य रूप से यह कहते हुए कि निदेशक के पद के लिए रिक्ति 14.09.2015 को हो गई थी, इस प्रकार, उक्त पद को नियम और विनियम लागू करके भरा जाना है जो रिक्ति की तारीख पर मौजूद थे। वह उन आवेदकों में से एक थे जिन्होंने 24.06.2015 के विज्ञापन और दिनांक 16.08.2016 के जवाब में निदेशक के पद के लिए आवेदन किया था। रिट याचिका में उनका यह मामला था कि यद्यपि उन्होंने दोनों विज्ञापनों के जवाब में आवेदन किया है, उन्होंने ध्यान दिया है कि दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन के अनुसार निदेशक की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम, दिनांक 24.06.2015 के अनुसार निहित नियमों से भिन्न थे। यह एकमात्र याचिकाकर्ता का मामला था कि जब 14.09.2015 को पद खाली हो गया था, रिक्ति की तिथि के अनुसार नियम रिक्ति को भरने के लिए लागू होने चाहिए और संशोधित नियम नहीं।

प्रसंगवश, यह भी निवेदन किया गया था कि नियमों में संशोधन बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था, जैसा कि सोसायटी के नियमों और उपनियमों के तहत परिकल्पित किया गया था।

7. इन सभी रिट याचिकाओं में, उत्तर में प्रतिवादी द्वारा हलफनामा दायर किया गया था जिसमें मांगे गये अनुतोष का विरोध किया गया था और लगाए गए विभिन्न आरोपों से इनकार किया गया था।

8. इस तथ्य के बावजूद कि सभी तीन रिट याचिकाओं में, निदेशक के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का विज्ञापन दिनांक 16.08.2016 चुनौती के अधीन था, और निदेशक के पद पर भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी; किन्तु उच्च न्यायालय ने भर्ती नियमों की वैधता में प्रवेश किया और निष्कर्ष दिया कि नियमों, विनियमों और सोसायटी के उपनियमों के अनुसार नियमों में संशोधन नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधिसूचना को इस आधार पर भी रद्द कर दिया गया है कि नियमों में संशोधन के बाद, ऐसे नियमों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था, जिससे कि, वे सार्वजनिक डोमेन में नहीं थे। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विनियमों द्वारा निर्धारित अनुभव मानदंड विज्ञापन में निर्धारित नहीं थे और इस तरह के नियमों का, रिम्स में निदेशक के पद को भरने के लिए बाध्यकारी प्रभाव होगा। फलस्वरूप, ऊपरी आयु सीमा के संबंध में छूट प्रदान करने या रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई योग्यता पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेतर निर्देश जारी किया गया।

9. हमने श्री संजय आर. हेगड़े, अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और डॉ. राजीव धवन, आरआईएमएस के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर रखे गए आक्षेपित आदेश और अन्य सामग्री का अवलोकन किया।

10. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस न्यायालय द्वारा 07.05.2018 और 24.07.2018 को पारित अंतरिम आदेशों का उल्लेख करना उचित समझते हैं। दिनांक 07.05.2018 के आदेश से, इस न्यायालय ने प्रतिवादी अधिकारियों को भर्ती नियमों के संदर्भ में,जैसा कि आदेश की तिथि पर मौजूद थे, निदेशक, आरआईएमएस के पद पर चयन के लिये,इसे विशेष अनुमति याचिकाओं के परिणाम के अधीन बनाते हुए, आगे बढ़ने की अनुमति दी। 24.07.2018 के अग्रेतर आदेश से, इस न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को चयन को परिणाम घोषित करके अंतिम रूप देने की अनुमति दी
और नियुक्ति को अनंतिम रूप से आगे बढ़ाते हुए, इसे विशेष अवकाश याचिकाओं के परिणाम के अधीन किया गया।

11. तर्कों के दौरान, हमें सूचित किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दो आदेशों के अनुसार, चयन प्रक्रिया

डॉ. थिंगुजाम एचुबा सिंह बनाम

डॉ. एच. नबचंद्र सिंह [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

पूरा हो गया है और एक डॉ. अहन्थेम सांता सिंह को दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन के संदर्भ में 05.10.2018 को निदेशक, आरआईएमएस के रूप में नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान अपीलों के परिणाम के अधीन था। उसी को बाद में 2018 के डब्ल्यू पी. सं. 181 में रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और उस पर विचार लंबित है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित समान आक्षेपित आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री से सावधानीपूर्वक गुजरे हैं।

13. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि, किसी भी रिट याचिका में, निदेशक के पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम चुनौती के अधीन नहीं थे, उच्च न्यायालय नियमों की वैधता में चला गया है, जैसा कि संशोधित किया गया है, और अभिनिर्धारित किया है कि नियमों का संशोधन सोसायटी के नियमों, विनियमों और उपनियमों का पालन करके नहीं किया गया था। रिट याचिकाओं में प्रतिवादी अधिकारियों की विशिष्ट दलील थी, कि नियमों की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा केवल यह कहते हुए अलग कर दिया गया है कि इस तरह की आपत्ति तकनीकी प्रकृति की है। इस स्तर पर, यह नोट करना प्रासंगिक है कि इस तरह की आपत्ति को उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए एक तरफ नहीं हटा देना चाहिए था कि इस तरह की आपत्ति एक तकनीकी प्रकृति की है। इन सभी रिट याचिकाओं में जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा समान आदेश पारित किया गया है, मात्र दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन की वैधता चुनौती के अधीन थी। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने किसी भी चुनौती के अभाव में नियमों की वैधता में जाने में एक त्रुटि कारित की है। किसी भी दशा में, यह प्रतिवादी अधिकारियों का मामला था कि नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया गया था और इस संशोधन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, संशोधित नियमों को अधिसूचित नहीं करने के तथ्य को भी उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने के लिए आधार बनाया गया है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने माना है कि संशोधित नियमों को अधिसूचित नहीं करने से भर्ती नियमों की संशोधन प्रक्रिया के मूल में प्रहार होगा, जिससे कि, जब तक कि ऐसे नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। यह आक्षेपित आदेश से स्वयं प्रतीत होता है कि यह उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में विशिष्ट दलील थी कि उक्त नियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नहीं बनाया गया था और अग्रेतर उसे अधिसूचित करने के लिए रिम्स के नियमों, विनियमों और उपनियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।। यह सच है कि एक सार्वजनिक संस्थान में, नियमों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी समय सोसायटी के उप–कानूनों या निदेशक के पद पर भर्ती के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों में उस प्रभाव के प्रावधान की अनुपस्थिति में, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से अधिसूचित नहीं करना, अधिसूचना को अमान्य करने के लिए आधार नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 6 एससीसीआर।

14. उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन में अधिसूचित पात्रता का अनुभव मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विनियमों के अनुरूप नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर उत्तर हलफनामे में, इस तरह के आरोप से इनकार करते हुए, यह निवेदन किया गया था कि योग्यता और अनुभव, जैसा कि 16.08.2016 के विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के विनियम,1998"(समय–समय पर जैसा संशोधित) के अनुसार था। यह प्रतिवादी अधिकारियों का विशिष्ट तर्क था कि चूंकि आरआईएमएस मणिपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसलिए संबद्ध अस्पताल के निदेशक के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आवश्यकता को लागू किया जाना चाहिए। इस तरह की दलील को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि इस संबंध में कोई उचित दलील नहीं है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी विनियमों की एक प्रति, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम,1998 "(11 मार्च 2017 तक संशोधित) हमारे सामने रखी गयी है। जैसा कि उक्त विनियमों में अधिसूचित किया गया है, चिकित्सा संस्थानों के निदेशक के पद के लिए लागू शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबद्ध शिक्षण अस्पताल के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए लागू होने वाले से भिन्न हैं। एक चिकित्सा संस्थान में निदेशक के पद के लिए,शैक्षणिक योग्यता के अलावा, प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के रूप में दस साल का अनुभव एक मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से कम से कम पांच साल एक विभाग में प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए, निर्धारित है। हालांकि, संबद्ध शिक्षण अस्पताल के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए आवश्यक अनुभव केवल दस वर्ष है। यह उत्तरदाताओं का विशिष्ट मामला है कि आरआईएमएस एक संबद्ध शिक्षण अस्पताल है। उत्तरदाताओं के ऐसे रुख के दृष्टिगत यह नहीं कहा जा सकता है कि दिनांक 16.08.2016 के विज्ञापन में अधिसूचित पात्रता का अनुभव भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियम के विपरीत है। जहां तक रिट याचिकाओं में से एक में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई ऊपरी आयु सीमा में छूट का संबंध है, उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी और सोसायटी की कार्यकारी परिषद को इस तरह के शिथिलता नियम प्रदान करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हम यह समझने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा छूट प्रदान करने के लिए ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है जिसे विज्ञापन में अधिसूचित नहीं किया गया है। यद्यपि नियोक्ता के लिए इस तरह के छूट के मानदंडों को अधिसूचित करना खुला है, जब पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, उसी समय कोई भी अधिकार के रूप में इस तरह की छूट का दावा नहीं कर सकता है। पात्रता मानदंड

डॉ. थिंगुजाम एचुबा सिंह बनाम

डॉ. एच. नबचंद्र सिंह [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

नियोक्ता के डोमेन के भीतर होगा और कोई भी उम्मीदवार शिथिलता नियम प्रदान करने के लिए अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता है।

15. उपरोक्त कारणों से, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं और मणिपुर के उच्च न्यायालय इंफाल द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 का नंबर 676; डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 का नंबर 722; और डब्ल्यू. पी. (सी) 2016 का नंबर 766 में पारित आक्षेपित समान निर्णय और आदेश दिनांकित 27.03.2017 को अपास्त करते हैं। परिणामस्वरूप, उपरोक्त रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

सिविल अपील सं. 2020 का 2253–2255

[एसएलपी से उत्पन्न (सी) 2019 का नं. 4853–4855]

16. अनुमति दी गई।

17. ये सिविल अपीलें भारत संघ और आरआईएमएस द्वारा उच्च न्यायालय के उसी आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं जिसके द्वारा 16.08.2016 के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। एसएलपी (सी) सं. 2017 की 15093–15095 से उत्पन्न अपीलों के निस्तारण के दौरान दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, इन अपीलों को भी स्वीकार किया गया और उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आक्षेपित आदेश को अपास्त किया गया।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की गई।

अभिषेक सिन्हा,
अपर जिला जज,
सुलतानपुर।